(बजट अनुभाग)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्याः 115/प्र0अ0/सि0वि0/बजट/बी–1(आवंटन)/कैम्प दिनांकः 07 जून, 2024

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या IRR-2-1/II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 62864/I/215206/2024, दिनांक 04.06.2024 द्वारा अनुदान संख्या–30 के राजस्वलेखा मद के मुख्य लेखाशीर्षक 2711 अनुसूचित जाति उपयोजना (एस0सी0एस0पी0) के लघु निर्माण कार्य मद में निर्माणाधीन बाढ़ कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में निर्माणाधीन योजनाओं पर शासन द्वारा ₹ 35.69 लाख (₹ पैंतीस लाख उनहत्तर हजार मात्र) का आवंटन प्रमुख अभियन्ता के निर्वतन पर रखते हुये किया गया है।

अतः उक्त आवंटित धनराशि ₹ 35.69 लाख का आवंटन मुख्य अभियन्तावार/खण्डवार/योजनावार /मदवार निम्नानुसार किया जाता है :–

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र. स.	मद का विस्तृत विवरण/कार्यालय का नाम/योजना का नाम	आवंटित धनराशि
क	30/2711–बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास, 01–बाढ़ नियंत्रण, 103–सिविल निर्माण कार्य, 04–बाढ़ सुरक्षा कार्यो हेतु, 00–, 52–लघु निर्माण (2711–01–103–04–00–52)	
	मुख्य अभियन्ता स्तर–I, देहरादून	
	सिंचाई खण्ड, पुरोला	
1	जनपद उत्तरकाशी के ग्राम पंचायत छमरोटा में छाला नामे तोक यमुना नदी के दांये किनारे पर कृषि भूमि के बचाव का कार्य ।	3.69
	योग सिंचाई खण्ड, पुरोला	**3.69**
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर–I, देहरादून	**3.69**
	मुख्य अभियन्ता स्तर–II, अल्मोड़ा	
	सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	
1	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड डीडीहाट में ग्राम सेरासैनाली के हडकटिया बस्ती की हडकटिया गधेरे से सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य की प्रायोजना ।	16.00
2	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड डीडीहाट में ग्राम सेरासैनाली के डंगरोटा बस्ती की सेलपानी गधेरे से सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य की प्रायोजना ।	16.00
	योग सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	**32.00**
	योग मुख्य अभियन्ता स्तर–II, अल्मोड़ा	**32.00**
	कुल योग	**35.69**

(₹ पैंतीस लाख उनहत्तर हजार मात्र)

उपरोक्त आवंटित बजट का उपभोग शासनादेश संख्या IRR-2-1/II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 62864/I/215206/2024, दिनांक 04.06.2024 में उल्लिखित निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा :–

1. उक्तानुसार अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पूर्ण रुप से पालन किया जायेगा।
2. धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार चालू कार्यो में ही किस्तों में किया जायेगा । उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।